FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana   P.S. (थाना): ACB, Gurugram   Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0029   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 10/08/2026 13:39 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days   Date from (दिनांक से): 01/01/2010   Date To (दिनांक तक): 31/12/2015

Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से): 00:00 hrs   Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 10/08/2026   Time (समय): 12:45 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012   Date and Time (दिनांक और समय): 10/08/2026 12:53 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 20 Km(s)   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): NAVEEN KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 13/01/1983 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SV ACB GGM, ACB, Gurugram, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SV ACB GGM, ACB, Gurugram, State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9582200137

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	संजय पूर्व सरंपच		Father's Name: स्व० नरेन्द्र सिहं	1. निवासी भौण्डसी गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री मनोज कुमार		Father's Name: श्री उमराव सिंह	1. नया गांव पुलिस थाना सदर रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA 2. समाज शिक्षा एव पंचायत अधिकारी,खण्ड नगीना मेवातNUH,HARYANA,INDIA
3	श्रीमति नीलम देवी सरपंच		Husband's Name: प्रदीप कुमार	1. निवासी धानावास जिला गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	रणसिंह तत्कालीन ग्राम सचिव			1. धानावास जिला गुरूग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

5	श्रीमति धनपति तत्कालीन सरपंच			1. ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली,जिला गुरुग्राम GURUGRAM,HARYANA,INDIA
6	श्री गजेन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव			1. फाजिलपुर बादली जि0 गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
7	श्री औम प्रकाश तत्कालीन सरपंच			1. ग्राम पंचायत सांपका जिला GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
8	श्री परमवीर तत्कालीन ग्रामसचिव			1. ग्राम पंचायत सांपका जिला GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
9	सुरेश कुमार		Father's Name: दिलबाग सिंह	1. प्लॉट न० 79 अम्बाला,अम्बाला सिटी मोती नगर,AMBALA,HARYANA,INDIA 2. 357,गली न0 12/384,फर्म न्यू सांगवान ईलक्ट्रोनिक्,लक्ष्मी नगर गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA
10	श्री कृष्ण इलैक्ट्रॉनिक			1. गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी SPT,SONIPAT,HARYANA,INDIA 2. 448,विकास नगर गली न० 3 सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA
11	फर्म Gen Next Illumination India PVT. Ltd.			1. 184 HSIIDC Rai Sonipat,SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

POLICE STATION S.V. & A.C.B. Gurugram Range Gurugram

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरुग्राम। श्रीमान जी, निवेदन है कि कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी कमांक 64/01/2016-2 चौकसी (II) दिनाक 09.03.2016 की पालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन कमांक 3201/1-3/SVB(H) dt. 17.03.2016 अनुसार जांच कमांक 02 दिनांक 16.03.2016/हिसार दर्ज रजिस्टर हुई। जिसमें आरोप है कि जयवीर सिंह पूनिया एस.डी.ओ इलैक्ट्रीसीटी पंचायती राज गुरुग्राम में कार्यरत है उपरोक्त द्वारा हिसार जीन्द, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी व नारनौल जिलो में पंचायतों द्वारा गलियों में लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाईटों का सरकार द्वारा निर्धारित हरेडा रेट अनुसार एस्टीमेट बनाने व बिलो की तसदीक करने की डयूटी निर्धारित की हुई है। परन्तु जयवीर सिंह व हरिप्रकाश कनिष्ठ अभियन्ता ने कार्यकारी अभियंता पंचायती राज इलैक्ट्रिकल अम्बाला के पत्र नम्बर 743 दिनांक 13.01.2015 अनुसार उपरोक्त जिलो के अलावा अन्य किसी जिले में कार्य कराने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी ग्राम पंचायत भौण्डसी जिला गुरूग्राम में 47,46000/- रूपये के असैस्मैन्ट सरकार द्वारा निर्धारित 3575/- रूपये प्रति लाईट सम्बन्धित सामान की मजदूरी सहित की बजाए 5900/-रूपये व 5343/- रूपये प्रति लाईट के हिसाब से बनाकर फर्म मालिक, ग्राम पंचायत सरपंचो व स्वयं को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने व गांव भौण्डसी के अलावा गुरुग्राम के अन्य खण्डो की ग्राम पंचायतों में अस्टीमेट तैयार करके करोड़ों रूपये की सरकारी राशी का गबन करने बारें है।

ग्राम पंचायत भौण्डसी ग्राम पंचायत भौण्डसी के श्री संजय राधव तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भौण्डसी द्वारा प्रस्ताव न॰ 15 स्ट्रीट लाईट लगाने बारे व प्रस्ताव न॰ 16 लगी हुई स्ट्रीट लाईटों का भुगतान करने बारे अंकित किया हुआ है और बिल न॰ 183 दिनांक 14.09.2010 अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 4800 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 2,40,000 रूपये जिसमें वेट शामिल है। फर्म New Sangwan Electronics लक्ष्मी नगर गोहाना सोनीपत से खरीदनी पाई गई है और फर्म को चैक न0 413000 द्वारा भुगतान किया जाना पाया गया है। फर्म New Sangwan Electronics की कुटेशन, फर्म M/S Rainbow Electronics नजदीक सुभम होटल रोहतक रोड गोहाना व RPB India Industries गांव सीकरी बल्लवगढ़ जिला फरीदाबाद की दो-दो कुटेशने लगी हुई है इसके अलावा फर्म New Sangwan Electronics के बिल न॰ 243 दिनांक 19.10.2010 जिसमें 30 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 6500 रूपये के हिसाब से कुल 1,95,000 रूपये जिसमें वेट शामिल है व बिल न0 244 दिनाक 19.10.2010 के अनुसार 40 स्ट्रीट लाईट 4800 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1,92000 रूपये खरीद की जानी पाई गई इसमें वेट शामिल है जिसके सम्बन्ध में मांग प्रस्ताव व भुगतान प्रस्ताव की प्रतियां रिकार्ड में उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके अलावा प्रस्ताव न॰ 08 दिनांक 04.01.2013, प्रस्ताव न॰ 27 दिनांक 19.09.2013, प्रस्ताव न॰ 25 दिनांक 23.08.2013. प्रस्ताव न॰ 10 दिनांक 04.08.2013, प्रस्ताव न॰ 26 दिनांक 20.07.2013 हाईमास्क लाईट अलग-अलग है लगाने बारे प्रस्ताव अंकित किये हुये है और इनकी अनुमानित लागत श्री जयवीर एस॰डी॰ओ॰ पचायती राज हिसार व हरि प्रकाश जे॰ई॰ पंचायती राज गुरुग्राम द्वारा दी जानी पाई गई है। परन्तु इस राशि की अनुमति ना मिलने पर ये हाईमास्क लाईट गांव भौण्डसी में लगानी नहीं पाई गई। इनका केवल अनुमानित लागत 47.46,000 रूपये बनाया गया था। बिल न॰ 183 दिनांक 14.09.2010, बिल न॰ 243 दिनाक 19.10.2010 व बिल न॰ 244 दिनांक 19.10.2010 का अवलोकन किया गया जो अवलोकन से पाया गया कि बिल न॰ 183 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट प्रति लाईट 4800 रूपये के हिसाब से 2,40,000 रूपये की खरीद की जानी पाई गई है। बिल न॰ 243 अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 6500 रूपये के हिसाब से 1.95.000 रूपये और बिल न॰ 244 के अनुसार 40 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 4800 रूपये के हिसाब से 1,92,000 रूपये की खरीद की जानी पाई गई है। उपरोक्त तीनो बिलो अनुसार सभी स्ट्रीट लाईट सुरेष कुमार पुत्र दिलबाग सिंह निवासी अम्बाला सिटी मोती नगर प्लॉट नं0 79 अम्बाला मालिक फर्म न्यु सागवान ईलक्ट्रोनिक्स मकान न0 357 गली न0 12/384 लक्ष्मी नगर गोहाना जिला सोनीपत से खरीद की गई है। बिल में लाईटो का मार्का नही दर्शाया हुआ जबकि फर्म द्वारा अनुमानित राशी के कागजात में बजाज, हलोनैक्स, फिलिप्स, Crompton आदि कम्पनी की लगाने बारे अंकित किया हुआ है। फर्म New Sangwan Electronics की कुटेशन, फर्म M/S Rainbow Electronics नजदीक सुभम होटल रोहतक रोड गोहाना व RPB India Industries गांव सीकरी बल्लवगढ़ जिला फरीदाबाद की दो-दो कुटेषने लगी हुई है जिनको तसदीक करने पर ये सभी फर्म अपने दिये गये पता पर नही पाई गई। आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सोनीपत से फर्म के TIN No. व रजिस्टेषन बारे पता किया गया। M/S Rainbow Electronics फर्म का विभाग को No Record Found पाया गया। सरपंच द्वारा बाजार से सही स्ट्रीट लाईट के बाजार रेट न लेकर व बिलों को किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक नहीं करवाया

POLICE STATION S.V. & A.C.B. Gurugram Range Gurugram

गया है। कुटेशन वाली फर्म फर्जी पाई गई। इस सम्बन्ध में महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय में तकनीकी शाखा में नियुक्त श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 243 में 1,18,260 रूपये व बिल न0 244 में 1,24,480 रूपये व बिल न0 183 में 1,55,600 रूपये कुल 3,98.240 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। उस समय लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के बाजार रेट व एच०एस०आर० रेट अनुसार कुल 3.98.240 रूपये अधिक खर्च किये गये। इस अधिक राशी को संजय तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भौण्डसी, मनोज कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव भौण्डसी व सुरेष कुमार मालिक फर्म न्यू सागवान ईलक्ट्रोनिक्स लक्ष्मीनगर गोहाना सोनीपत द्वारा आपस में मिली भगत करके व फर्जी कुटेषन तैयार करके सरकार को वितिय हानि पहुंचाकर अपराध किया है।

ग्राम पंचायत धानावास ग्राम पंचायत धानावास द्वारा प्रस्ताव न० 01 दिनांक 24.05.2011 कार्यवाही पुस्तिका में स्ट्रीट लाईट लगाने उपरान्त फर्म को भुगतान करने के सम्बन्ध में अंकित किया गया जिस पर ग्राम सचिव व सरपंच व अन्य पंचों के हस्ताक्षर है। बिल न० 55 दिनांक 16.04.2011 के अनुसार 15 स्ट्रीट लाईट 4800 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 72000 रूपये में फर्म Shri Krishan Electronics शास्त्री कॉलोनी गोहाना रोड सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है। फर्म Shri Krishan Electronics, M/s Ronak Electronics Baroda Road Near Pannu Hospital Gohana Sonipat, Mascot Technology Plot No. 59 Industrial Area Faridabad की कुटेशन लगी हुई है। बिल न० 55 दिनांक 16.04.2011 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत धानावास की तत्कालीन सरपंच नीलम देवी द्वारा उपरोक्त बिल अनुसार 15 स्ट्रीट लाईट ऊउदपं कम्पनी की प्रति लाईट 4800 रूपये के हिसाब से कुल 72,000 रूपये की श्री कृष्ण इलैक्ट्रोनीक शास्त्री कॉलोनी गोहाना रोड सोनीपत के मालिक कृष्ण सिंह निवासी म०न० 448 गली न० 3. विकास नगर सोनीपत से खरीद करनी पाई गई है। बिल को किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक करना नही पाया गया। इस सम्बन्ध में फर्म M/S Ronak Electronices Baroda Road Near Pannu Hospital Gohana o Mascot Technology Plot NO. 59 Industrial Area Faridabad की कुटेशन रिकार्ड में लगाई हुई है। कुटेशन वाली फर्मों की तसदीक करने पर पाया गया है कि ये फर्मे अपने दिये गये पते पर कार्यरत नही है और ना ही इसके बारे आस-पास के दुकानदारों को कोई जानकारी है। आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सोनीपत से फर्म के TIN No. व रजिस्टेषन बारे पता किया गया। M/S Ronak Electronices Baroda Road Near Pannu Hospital Gohana फर्म का विभाग में No Record Found पाया गया। सरपंच द्वारा बाजार से सही स्ट्रीट लाईट के बाजार रेट न लेकर व बिल को किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक नही करवाया गया है। इस सम्बन्ध में महानिदेषक रा०चौ०ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय में तकनीकी शाखा में नियुक्त श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 55 में 46680 रूपये कुल 46680 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। उस समय लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के बाजार रेट व एच०एस०आर० रेट अनुसार कुल 46680 रूपये अधिक खर्च किये गये। इस अधिक राशी को श्रीमति नीलम देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धानावास, रणसिंह तत्कालीन ग्राम सचिव धानावास व श्री कृष्ण इलैक्ट्रोनिक गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत के मालिक कृष्ण सिंह निवासी म०न० 448 विकास नगर गली न० 3 सोनीपत द्वारा आपस में मिली भगत करके फर्जी कुटेशन तैयार करके सरकार को वितिय हानि पहुंचाकर अपराध किया है।

ग्राम पंचायत सांपका ग्राम पंचायत सापका के बिल न० 80 दिनांक 22.06.2015 के अनुसार दो हाईमास्क लाईट 116500 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से 2,33000 रूपये भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनांक 25.06.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है। फर्म को चैक न0 280978 के माध्यम से भुगतान किया गया। हाईमास्क लाईट T.R Energy System Bhora Kalan Gurugram फर्म से खरीद की जानी पाई गई है। बिल न० 17 दिनांक 13.03.2011 के अनुसार 20 स्ट्रीट लाईट 4000 रूपये के हिसाब से कुल 84200 रूपये जिसमे वेट षामिल किया गया है. जो भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनांक 09.06.2011 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है फर्म को चैक न० 187887 के माध्यम से भुगतान किया गया। यह स्ट्रीट लाईटे Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat फर्म से खरीद करनी पाई गई है। कुटेशन Sanghu Energy Saving Systems Pvt. Ltd. नजदीक बस स्टैण्ड गोहाना व फर्म भारत इलैक्ट्रोनिक मेन मार्किट गोहाना सोनीपत की लगी हुई है। बिल न० 80 दिनांक 22.06.2015 के अवलोकन करने पर पाया गया कि दो हाईमास्क लाईट 116500 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से 2.33000 रूपये फर्म T.R Energy System Bhora Kalan Gurugram से खरीद की जानी पाई गई है। बिल न० 17 दिनांक 13.03.2011 के अनुसार 20 स्ट्रीट लाईट 4000 रूपये के हिसाब से कुल 84200 रूपये जिसमे वेट शामिल किया गया है। बिल SDO हिसार व हरि प्रकाश जे०ई० द्वारा तसदीक किया हुआ है। यह स्ट्रीट

लाईटे Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat फर्म से खरीद करनी पाई गई है। बिल किसी भी अधिकारी से तसदीक नही किया गया। कुटेषन Sanghu Energy Saving Systems Pvt. Ltd. नजदीक बस स्टैण्ड गोहाना व फर्म भारत इलेक्ट्रोनिक मेन मार्केट गोहाना सोनीपत की लगी हुई है जो Sanghu फर्म के मालिक ने कोई भी कुटेशन देना नही बतलाया और Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat फर्म अपने दिये हुये स्थान पर कार्यरत नही है और ना ही इसके बारे कोई पता चल सका। आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सोनीपत से फर्म के TIN No. व रजिस्टेषन बारे पता किया गया तो फर्म भारत इलेक्ट्रोनिक मेन मार्केट सैक्टर-7 गोहाना सोनीपत का विभाग में No Record Found पाया गया। इस सम्बन्ध में महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय में तकनीकी शाखा में नियुक्त श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मुल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 80 में 31057 रूपये, अधिक खर्च करने बतलाये है। यह राशी औम प्रकाश तत्कालीन सरपंच व फर्म T.R Energy System Bhora Kalan Gurugram से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न० 17 में 33044 रूपये कुल राशि 64101 रूपये अधिक खर्च किये गये। इस अधिक राशी को श्री औम प्रकाश तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सांपका व श्री परमवीर तत्कालीन ग्राम सचिव व फर्म Gen Next Illumination India PVT. Ltd. R/o 184 HSIIDC Rai Sonipat जिन्होने आपस में मिली भगत करके फर्जी कुटेशन तैयार करके सरकार को वितीय हानि पहुंचाकर अपराध किया है।

ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली के बिल न० 84 दिनांक 23.06.2015 के अनुसार 15 स्ट्रीट लाईट 4250 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 63750 रूपये भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनांक 25.06.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है, फर्म को चैक न0 443176 के माध्यम से भुगतान किया गया। बिल. न० 107 दिनांक 20.07.2015 के अनुसार 2 हाईमास्क लाईट 113000 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 226000 रूपये में खरीद की जानी पाई गई जो भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनांक 22.07.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है व फर्म को चैक न0 443177 के माध्यम से भुगतान किया गया। स्ट्रीट लाईट व हाईमास्क लाईट T.R Energy System Bhora Kalan Gurugram फर्म से खरीद की जानी पाई गई है। बिल न० 07 दिनांक 20.02.2011 के अनुसार 20 स्ट्रीट लाईट 4000 रूपये के हिसाब से कुल 84200 रूपये जिसमे वेट शामिल किया गया है जो भुगतान प्रस्ताव न0 01 दिनांक 25.02.2011 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है फर्म को चैक न0 088467 के माध्यम से भुगतान किया गया। यह स्ट्रीट लाईटे Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat फर्म से खरीद करनी पाई गई है। कुटेशन Sanghu Energy Saving Systems Pvt. Ltd. नजदीक बस स्टैण्ड गोहाना व फर्म भारत इलेक्ट्रोनिक मेन मार्केट गोहाना की लगी हुई है। सरपंच धनपति पत्नी दयाराम निवासी फाजिलपुर बादली तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली की मृत्यु दिनांक 06.05.2017 को हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। आबकारी एवं कराधान विभाग जिला सोनीपत से फर्म के TIN No. व रजिस्टेशन बारे पता किया गया तो फर्म Sanghu Energy Saving Systems Pvt. Ltd. नजदीक बस स्टैण्ड गोहाना व फर्म भारत इलेक्ट्रोनिक मेन मार्केट गोहाना सोनीपत का विभाग में No Record Found पाया गया। कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों पंचकुला की तकनीकी शाखा में नियुक्त श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 84 में कोई अन्तर नहीं पाया गया। बिल न० 107 में 24050 रूपये अधिक खर्च करने पाये गये। यह राशी धनपति पत्नी दयाराम निवासी फाजिलपुर बादली तत्कालीन सरपंच व फर्म T.R Energy System Bhora Kalan Gurugram से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न० 07 में 33040 रूपये कुल राशि 57090 रूपये अधिक खर्च किये गये। श्रीमति धनपति तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली मृतक, श्री गजेन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव व फर्म Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat द्वारा आपस में मिली भगत करके फर्जी कुटेशन तैयार करके सरकार को वितिय हानि पहुंचाकर अपराध किया है।

ग्राम पंचायत नरहेडा ग्राम पंचायत नरहेडा बिल न० 307 दिनांक 08.03.2011 के अनुसार 14 स्ट्रीट लाईट 5500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 77,000 रूपये फर्म Sangwan Energy System Pvt. Ltd. Plot No. 155 1st Floor HSIIDC Rai Distt. Sonipat से खरीद की गई जिसमें वेट शामिल है। बिल न० 274 दिनांक 14.03.2011 के अनुसार एक हाईमास्क स्ट्रीट लाईट 5500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से पाईप, नेट बोल्ट, लेबर, आने-जाने का खर्च सब षामिल था जिसकी कुल लागत 1,10,000 रूपये फर्म SAP Technology अशोक विहार गली न० 03 नजदीक हिन्दु स्कूल सोनीपत से खरीद की गई। बिल न0 289 दिनांक 07.04 2011 के अनुसार हाईमास्क स्ट्रीट लाईट 5500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से पाईप, नेट बोल्ट, लेबर, आने-जाने का खर्च सब शामिल था जिसकी कुल लागत 66000 रूपये फर्म

SAP Technology अशोक विहार गली न० 03 नजदीक हिन्दू स्कूल सोनीपत से खरीद की गई। बिल न० 188 दिनांक 15.08.2013 के अनुसार 25 स्ट्रीट लाईट 3500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 87500 रूपये में व बिल न0 262 दिनांक 20.10 2013 के अनुसार 37 स्ट्रीट लाईट 3500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 1,29,500 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जागड़ा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई। दो बिलों को ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा तसदीक किया हुआ है और तीन बिल किसी से भी तस्दीक नही कराये गये है। ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा अनुमानित राशि दी गई है। बिल न० 49 दिनांक 06.05.2015 के अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट 2980 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 89400 रूपये व वेट 11.733 रूपये कुल 101133 रूपये फर्म T.R Energy System नजदीक हनुमान मन्दिर बिलासपुर रोड भौडाकला से खरीद करनी पाई गई है जिस बिल को एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार द्वारा तसदीक किया हुआ है। ग्राम पंचायत नरहेडा द्वारा इन स्ट्रीट लाईटों को लगाने के सम्बन्ध में मांग प्रस्ताव व भुगतान प्रस्ताव की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवाई गई। बिल न० 307 दिनांक 08.03.2011, बिल नं0 274 दिनांक 14.03.2011, बिल न० 289 दिनाक 07.04.2011, बिल न० 188 दिनांक 15.08.2013, बिल न० 262 दिनांक 20.10.2013 व बिल न० 49 दिनांक 06. 04.2015 का अवलोकन किया गया जो अवलोकन से पाया गया कि बिल न0 307 के अनुसार 14 स्ट्रीट लाईट प्रति लाईट 5500 रूपये के हिसाब से 77,000 रूपये की फर्म सागवान एनर्जी सिस्टम के मालिक सुधीर पुत्र दिलबाग सिंह निवासी न्यूटन खेडा जिला सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है। श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौकसी ब्यूरों पंचकुला द्वारा तकनीकी मुल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 307 में 41,188 रूपये अधिक खर्च किये गये है। बिल न0 274 अनुसार 20 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 5500 रूपये के हिसाब से 1,10,000 रूपये में खरीद की जानी पाई गई है। श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 274 में 58840 रूपये अधिक खर्च किये गये है और बिल न0 289 के अनुसार 12 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 5500 रूपये के हिसाब से 66,000 फर्म एस०ए०पी० टैक्नोलोजी अशोक बिहार सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 289 में 35304 रूपये अधिक खर्च किये गये है। बिल न० 188 अनुसार 25 स्ट्रीट लाईट 3500 रूपये के हिसाब से 87,500 रूपये, बिल न0 262 अनुसार 37 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 3500 रूपये के हिसाब से 1,29,500 फर्म Mccromik Industries Dundahera Gurugram से खरीद की जानी पाई गई है। श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 188 में 23550 रूपये अधिक खर्च किये गये है। तत्कालीन सरपंच द्वारा अनुमानित राशी के कागजात कुटेशन किसी भी फर्म की प्राप्त नही की गई सभी बिल अतिरिक्त उप मण्डल अभियन्ता विद्युत पंचायतीराज रोहतक द्वारा तसदीक किये हुये है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बिल न० 49 अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट प्रति स्ट्रीट लाईट 2980 रूपये के हिसाब से 89.400 वैट 11,733 कुल 1,01,133 रूपये की खरीद की जानी पाई गई है। बिल में लाईटो का मार्का नहीं दर्शाया हुआ जबकि फर्म द्वारा अनुमानित राशी के कागजात में बजाज, हलोनैक्स, फिलिप्स, Crompton आदि कम्पनी की लगाने बारे अंकित किया हुआ है परन्तु फर्म द्वारा अपने बिल में कोई भी मार्का नही दर्शाया हुआ। हेम सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नरहेडा ने सागवान एनर्जी सिस्टम के मालिक सुधीर पुत्र दिलबाग सिंह निवासी न्यूटन खेडा जिला सोनीपत से बाजार भाव से 41188 रूपये अधिक की स्ट्रीट लाईट खरीद की है। इन दोनों से 58404 रूपये की रिकवरी की जाने का सुझाव दिया जाता है। हेम सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नरहेडा व SAP Technology अशोक विहार गली न० 03 नजदीक हिन्दू स्कूल सोनीपत ने बाजार भाव से 94144 रूपये अधिक की स्ट्रीट लाईट खरीद कर जो इन दोनों से इस राशी की रिकवरी की जानी का सुझाव दिया जाता है तथा हेम सिंह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नरहेडा व फर्म Mccromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जागड़ा बाजार डुण्डाहेडा गुरुग्राम के मालिक प्रमोद ने बाजार भाव से 58404 रूपये अधिक की स्ट्रीट लाईट खरीद की गई है। कालू राम पुत्र श्री जीवन राम निवासी फरुखनगर थाना फरूखनगर जिला गुरूग्राम तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत नरहेडा का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिए था और फर्मों की कुटेशन वगैरा लेनी चाहिए थी और सभी बिलो को तसदीक करवाना था। परन्तु कालू राम सचिव द्वारा कुछ बिलो को तसदीक नही करवाया व कुटेशन प्राप्त नही की जिसने ऐसा करके अपनी ड्यूटी में लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत बार गुर्जर ग्राम पंचायत बार गुर्जर बिल न० 448 दिनांक 24.03.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट 3,75,000 रूपये फर्म Mccromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जागड़ा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई जिसकी कुटेशन M/S Parmod Sharma Contrator बसन्त विहार बहादुरगढ़, M/s Yadav Engineering B-134 G/F No.

14 Khajuri Khas Delhi लगी हुई है। बिल न0 70 दिनांक 01.03.2011 के अनुसार 27 स्ट्रीट लाईट 4800 / रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 1,29,600 रूपये में फर्म Shri Krishan Electronic गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है जिसकी मांग प्रस्ताव, भुगतान प्रस्ताव की प्रतियां व कुटेशन का रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया गया। बिलो को किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक किया जाना नही पाया गया। कुटेशनो की तसदीक की गई तो M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi O M/S Parmod Sharma Contrator बसन्त विहार बहादुरगढ़ की तसदीक की गई जो कुटेशन वाली फर्मे सही पाई गई। बिल को किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक नही करयाया गया है जिसका श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 448 में 88223 रूपये अधिक खर्च करने बतलाये है। सरपंच रविन्द्र कुमार तत्कालीन सरपंच बार गुर्जर व फर्म Mccromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जागडा बाजार डूण्डाहेडा गुरूग्राम मालिक प्रमोद से 88223 रूपये रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न0 70 में 84024 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। 84024 रूपये की राशी को श्री रविन्द्र कुमार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बार गुर्जर, श्री कृष्ण इलैक्ट्रोनिक गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत के मालिक कृष्ण सिंह निवासी म०न० 448 विकास नगर गली न० 3 सोनीपत से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है।

ग्राम पंचायत हयातपुर ग्राम पंचायत हयातपुर के बिल न0 419 दिनांक 12.02.2015 के अनुसार 4200 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 105000 रूपये जिसमें 300 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से सालाना रख-रखाव का चार्ज 25 लाईटों का 7500 रूपये जोडकर कुल 1.12,500 रूपये फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डूण्डाहेडा गुरुग्राम से खरीद की गई। बिल को एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार द्वारा तसदीक किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव न० 1 दिनांक 27.03.2015 भुगतान का प्रस्ताव अंकित किया हुआ है जिस पर सरपंच व अन्य पंचो के हस्ताक्षर है। M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi, M/s Kesariya Electronics Vill. Rindhana Teh. Gohana Distt. Sonipat फर्मो की कुटेशन प्राप्त की हुई है और अनुमाति लागत एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार व जे०ई० पंचायती राज गुरुग्राम द्वारा दी हुई है। बिल न० 421 दिनांक 12.02.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट कुल 95500 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरुग्राम से खरीद की गई। बिल को एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार द्वारा तसदीक किया गया है। अनुमाति लागत एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार व जे०ई० पंचायती राज गुरूग्राम द्वारा दी हुई है। बिल न0 392 दिनाक 02.04.2015 के अनुसार 27 स्ट्रीट लाईट 4090 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 1,93,710 रूपये में फर्म M/S R.K Energy System VPO Kalsi (Nilo Kheri) Distt. Karnal से खरीद की जानी पाई गई है। बिल को ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा तस्दीक किया गया है। प्रस्ताव न० 01 दिनांक 15.04.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है कुटेषन Chirag Enery System पुरानी अनाज मण्डी इन्डरी जिला करनाल फर्म की प्राप्त की गई है। बिल न० 408 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार हाईमास्क लाईट कुल 349570 रूपये फर्म M/S R.K Energy System VPO Kalsi (Nilo Kheri) Distt. Karnal से खरीद की जानी पाई गई है। प्रस्ताव न० 03 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है। बिल को ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा तसदीक किया गया है। बिल न0 407 दिनांक 20.04.2015 के अनुसार 5 हाईमास्क लाईट प्रति लाईट 1,15,000 रूपये के हिसाब से कुल 5,75,000 रूपये फर्म M/S R.K Energy System VPO Kalsi (Nilo Kheri) Distt. Karnal से खरीद की जानी पाई गई है। बिल को ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा तसदीक किया गया है। प्रस्ताव न० 01 दिनांक 15.04.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है। कुटेशन Chirag Energy System पुरानी अनाज मण्डी इन्डरी जिला करनाल फर्म की प्राप्त की गई है जिसकी अनुमानित लागत ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा दी हुई है। बिल न0 143 दिनांक 21.10.2012 के अनुसार 7 स्ट्रीट लाईट 3415 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से 23905 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जंगरा बाजार डुण्डाहेडा गुरुग्राम से खरीद की गई। बिल को एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार द्वारा तसदीक किया गया है। M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi, M/s Kesariya Electronics Vill. Rindhana Teh. Gohana Distt. Sonipat फर्मो की कुटेषन प्राप्त की हुई है। बिल न० षून्य के अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट 144000 रूपये में फर्म Shri Krishan Electronics गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है जिसकी कुटेशन Mascot Technology R/O Plot No. 59 Industrial Area Faridabad फर्म की प्राप्त की गई है। बिल न० 419 दिनांक 12.02.2015 से सम्बन्धित सामान की कुटेशन M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi O M/s Kesariya Electronics Vill. Rindhana Teh. Gohana Distt. Sonipat ये फर्म सही पाई गई और अपनी कुटेशन देना भी

POLICE STATION S.V. & A.C.B. ... सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

बतलाया है। बिल न० शून्य के अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट 144000 रूपये में फर्म Shri Krishan Electronics गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत से खरीद की जानी पाई गई है जिसकी कुटेशन Mascot Technology R/O Plot No. 59 Industrial Area Faridabad फर्म की प्राप्त की गई है। बिल किसी भी अधिकारी द्वारा तसदीक शुद्धा नहीं है। कुटेशनों की तसदीक की गई जो केसरिया फर्म सही पाई गई जिसने कुटेशने देनी बतलाई। श्री सुरेश पाल व सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 419 व 392 में कोई अन्तर नहीं बतलाया। बिल न० 421 में 14527 रूपये व बिल न० 143 में 5999 रूपये कुल 20526 रूपये अधिक खर्च करना पाया गया है। श्री शिव नारायण तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत हयातपुर की मौत हो चुकी है। 20526 रूपये फर्म Mceromix प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम के मालिक प्रमोद से रिकवरी किये जाने का सुझाव दिया जाता है। बिल न0 407 विल न0 408 में 80553 कुल 220688 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। फर्म M/S R.k Energy System VPO Kalsi (Nilo Kheri) Distt. Karnal के मालिक राकेश कुमार निवासी कलसी से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न० शून्य में 93360 रूपये अधिक खर्च करना पाया गया है। फर्म Shri Krishan Electronics गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत के मालिक कृष्ण सिंह निवासी म०न० 448 विकास नगर गली न० 3 सोनीपत से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। श्री लाल सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिए था और सभी फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत साढराणा ग्राम पंचायत साढराणा के बिल न० 477 दिनांक 26.05.2015 के अनुसार 30 स्ट्रीट लाइट 4045 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 121350 रूपये फर्म Mccromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जागडा बाजार डूण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है जिसकी अनुमानित राशी ए०एस०डी०ई० पंचायत जिला रोहतक द्वारा दी गई है और बिल को भी तसदीक किया हुआ है जिसका भुगतान प्रस्ताव दिनांक 18. 06.2015 को कार्यवाही पुस्तिका में अकिंत किया हुआ है। फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डूण्डाहेडा गुरुग्राम को चैक न0 951535 अनुसार भुगतान किया गया है। बिल न० 425 दिनांक 12.02.2015 के अनुसार 1 हाईमास्क स्ट्रीट लाईट 93350 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई। बिल की तसदीक एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार व जे०ई० पंचायती राज गुरूग्राम द्वारा की हुई है। जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 5 दिनांक 25.03.2015 को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया हुआ है। फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम को चैक न0 678054 अनुसार भुगतान किया गया है। बिल न० 278 दिनांक 20.12 2013 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 3475 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 170750 रूपये फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है बिल को ए०एस०डी०ई० पंचायत जिला रोहतक द्वारा तस्दीक किया हुआ है जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनाक 26. 12.2013 को कार्यवाही पुस्तिका में अकिंत किया हुआ है फर्म Mccromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरुग्राम को चैक न0 951221 अनुसार भुगतान किया गया है। बिल न0 26 दिनांक अकित नहीं है के अनुसार 15 स्ट्रीट लाईट 4860 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 72900 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बोजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है बिल तस्दीक नही किया हुआ है जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 1 दिनांक 22.03.2013 को कार्यवाही पुस्तिका में अकिंत किया हुआ है फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरूग्राम को चैक अनुसार भुगतान किया गया है। बिल न0 27 दिनांक 31.03.2013 के अनुसार 05 स्ट्रीट लाईट 4860 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 24300 रूपये फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाज़ार डूण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है बिल तसदीक नही किया हुआ है जिसका भुगतान प्रस्ताव 01 दिनांक 31.03.2011. को कार्यवाही पुस्तिका में अकिंत किया हुआ है फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फ़ेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरूग्राम को चैक न0 427623 अनुसार भुगतान किया गया है। बिल न0 477 दिनांक 26.05.2015 के अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट 4045 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 121350 रूपये, बिल न० 425 दिनांक 12.02.2015 के अनुसार 1 हाईमास्क स्ट्रीट लाईट 93350 रूपये, बिल न० 278 दिनाक 20.12.2013 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 3475 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 170750 रूपये, बिल न० 26 दिनांक अकित नहीं है के अनुसार 15 स्ट्रीट लाईट 4860 रूपये प्रति लाइंट के हिसाब से कुल 72900 रूपये, बिल न० 27 दिनांक 31.03.2013 के अनुसार 05 स्ट्रीट लाईट 4860 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 24300 रूपये उपरोक्त सभी बिलों अनुसार फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरूग्राम से स्ट्रीट लाईट खरीद की गई है। बिल तसदीक अतिरिक्त उप

मण्डल अभियन्ता रोहतक द्वारा की गई है और अपनी अनुमानित राशि के कागजात भी दिये हुये है। अतिरिक्त उप मण्डल अभियन्ता रोहतक राजेन्द्र कुमार गौतम जिसकी मृत्यु हो चुकी है। श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 477 में कोई अन्तर नही बतलाया, बिल न0 425 में 12377 रूप्ये, बिल न० 278 में 42850 रूपये, बिल न० 26 में 34520 रूपये व बिल न० 27 में 11510 रूपये कुल 101257 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। वेदप्रकाश पुत्र थानाराम जाति एस०सी० (जुलाहा) निवास साढराणा गुरूग्राम तत्कालीन सरपंच ने फर्म Mecromik प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम के मालिक प्रमोद से कुल 101257 रूपये रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। कवंरपाल पुत्र मातादीन जाति सैनी निवासी गुरूग्राम गाँव वार्ड न० 8 हाल तैनात BDPO कार्यालय फरुखनगर ने ग्राम पंचायत साढराणा का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और सभी फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत खेतीयावास ग्राम पंचायत खेतीयावास में बिल न0 222 दिनांक 27.06.2015 के अनुसार 20 स्ट्रीट लाईट 3450/ रूप्ये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 69,000 / रूप्ये फर्म Mecromix प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डूण्डाहेडा गुरुग्राम से खरीद की गई है जिसके बिल की तस्दीक ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा की गई है। अनुमानित लागत, मांग प्रस्ताव व भुगतान प्रस्ताव तथा किसी भी फर्म की कुटेषन वगैरा के कागजात पेश नही किये गये। बिल न० 222 दिनांक 27.06.2015 के सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 222 में कुल 17840 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। यह राशी अशोक कुमार पुत्र प्रमानन्द नम्बरदार जाति अहीर निवासी खेतियावास व फर्म Mecromix प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जागडा बाजार डूण्डाहेडा गुरुग्राम के मालिक प्रमोद से रिकवर करने का सुझाव दिया जाता है। श्री संजय कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत खेतीयावास का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरुस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत गुडाना ग्राम पंचायत गुडाना बिल न० 55 दिनांक 22.06.2011 के अनुसार 19 स्ट्रीट लाईट 2850 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 61257 रूपये फर्म Tanisha Electricals नजदीक गर्ल्स स्कूल हेलीमण्डी रोड पटौदी और इसी फर्म से बिल न० 1179 दिनांक 17.06.2015 के अनुसार 65 स्ट्रीट लाईट 2787 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 190665 रूपये में खरीद की गई। बिल एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार से तसदीक किया गया है। अनुमानित लागत, मांग प्रस्ताव व भुगतान प्रस्ताव तथा किसी भी फर्म की कुटेशन वगैरा के कागजात पेश नही किये गये। बिल न० 55 दिनांक 22.06.2011 के सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 55 में 12655 रूपये व बिल न० 1179 में 24395 रूपये कुल 37050 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। उस समय लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के बाजार रेट व एच०एस०आर० रेट अनुसार कुल 37050 रूपये अधिक खर्च किये गये। इस अधिक राशी को श्री पवन कुमार तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुडाना व फर्म Tanisha Electricals नजदीक गर्ल्स स्कूल हेलीमण्डी रोड पटौदी के मालिक मनोज कुमार से रिकवर करने का सुझाव दिया जाता है। श्री अमित कुमार तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत गुडाना का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और फों की कुटेषन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत किरण की खेड़ली ग्राम पंचायत किरण की खेडली बिल न० 47 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार 25 स्ट्रीट लाईट 2950 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 73750 रूपये जिसमें 300 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से रिपेयर करने के चार्ज के लगाये हुये है जो उपरोक्त राशि में शामिल है फर्म R.S Traders नहारा नाहरी रोड जनता वरिष्ठ विधालय के पीछे बहादुरगढ जिला झज्जर और इसी फर्म से बिल न० 33 दिनांक 16.08.2013 के अनुसार 12 स्ट्रीट लाईट 3550 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 42600 रूपये और इसी फर्म से बिल न० 38 दिनांक 02.12.2013 के अनुसार 10 स्ट्रीट लाईट 3550 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 35500 रूपये और इसी फर्म से बिल न० 30 दिनांक 07.07.2013 के अनुसार 45 स्ट्रीट लाईट 3564 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1,61010 रूपये और इसी फर्म से बिल न० 44 दिनांक 17.12.2014 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 1300 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 65000 रूपये और इसी फर्म से बिल न० 49 दिनांक 02.03.2015 के अनुसार 30 स्ट्रीट लाईट 1300 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 26000 रूपये में खरीद की गई। अनुमानित लागत SDO पंचायती राज हिसार द्वारा दी गई है जिस सम्बन्ध में ग्राम

Police Station ... Gurugram Range Gurugram

पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में प्रस्ताव अंकित किया हुआ है। मांग प्रस्ताव व भुगतान प्रस्ताव तथा किसी भी फर्म की कुटेशन वगैरा के कागजात पेश नही किये गये। इस सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मुल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 47 में कोई अन्तर नही बतलाया। बिल न0 33 में 11904 रूप्ये व बिल न० 30 में 45900 रूपये कुल 57804 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। उस समय लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के बाजार रेट व एच०एस०आर० रेट अनुसार कुल 67724 रूपये अधिक खर्च किये गये। इस अधिक राशी को श्रीमति दयावती तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किरण की खेडली व फर्म R.S Traders नहारा नाहरी रोड जनता वरिष्ठ विधालय के पीछे बहादुरगढ जिला झज्जर के मालिक से रिकवर करने का सुझाव दिया जाता है। श्री गंगा राम तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत किरण की खेडली का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत मानेसर ग्राम पंचायत मानेसर बिल न० 30 दिनांक 15.03.2011 के अनुसार 100 स्ट्रीट लाईट 4860 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 4,86,000 रूपये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 1 दिनांक 20.03.2011 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है, बिल न० 35 दिनांक 23.03.2011 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 4860 रूप्ये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 2,43,000 रूपये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 1 दिनांक 30.03.2011 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है, बिल न० 446 दिनांक 06.04.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट 3,75,000 रूप्ये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 03 दिनांक 08.04.2015 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है फर्म Mecromix प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है जिसकी अनुमानित लगत एस०डी०ओ० पंचायती राज हिसार द्वारा दी हुई है कोई बिल तस्दीक नहीं किया गया है। बिल न० 88 दिनांक 03.01.2014 के अनुसार 250 स्ट्रीट लाईट 3078 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 769500 रूपये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 9 दिनांक 03.01.2014 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है फर्म Sarvodaya Seeki Ballabgarh Distt. Faridabad से खरीद की गई है ASDO पंचायती राज फरीदाबाद से अनुमानित लगत प्राप्त की हुई है और बिल भी तस्दीक किया हुआ है। बिल न० षून्य दिनांक 28.01.2015 के अनुसार 50 स्ट्रीट लाईट 2600 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1,30,000 रूपये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 1 दिनांक 30.03.2015 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है. बिल न० शून्य दिनांक 02.02.2015 के अनुसार 65 स्ट्रीट लाईट 2600 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1.69.000 रूपये जिसका भुगतान प्रस्ताव न० 1 दिनांक 04.02.2015 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अकित है, फर्म Green Energy VPO Seeki Near Peer Baba Ballabgarh Distt. Faridabad से खरीद की गई है जिसकी अनुमानित लागत एस०डी०ओ० पंचायती राज फरीदाबाद द्वारा दी हुई है कोई बिल तसदीक नही किया गया है। बिल न0 5432 दिनांक 24.04.2015 के अनुसार दो हाईमास्क लाईट कुल 239970 रूप्ये, बिल न० 5447 दिनांक 27 04.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट कुल 72622 रूपये जो दोनो का भुगतान प्रस्ताव न० 02 दिनाक 05.05.2015 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है, फर्म Innovatative Tele Systems New Railway Road DSD College Gurugram से खरीद की गई और अनुमानित लगत ASDE पंचायती राज रोहतक द्वारा दिया गया और बिल भी इन्ही के द्वारा तसदीक किया गया। इस सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न० 30 में 230200 रूपये, बिल न० 35 में 115100 रूपये, बिल न० 88 में 130000 रूपये, बिल न० शून्य दिनांक 28.01.2015 व बिल न० शून्य दिनांक 02.02.2015 में कोई अन्तर नही है, बिल न० 246 में 88233 रूपये, बिल न० 5432 में 18024 व बिल नं० 5447 में 6846 रूपये कुल 588403 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। उस समय लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के बाजार रेट व एच०एस०आर० रेट अनुसार कुल 588403 रूपये अधिक खर्च किये गये। श्री धर्मवीर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मानेसर ने फर्म Mecromix प्लॉट न0 127 उधोग विहार फेस 1 जंगरा बाजार डुण्डाहेडा गुरुग्राम के मालिक प्रमोद ने बिल न० 30 दिनांक 15.02.2011 अनुसार 2,30,200 रूपये व बिल न० 35 दिनांक 23.03.2011 अनुसार 1,15,100 रूपये व बिल न० 246 दिनांक 06.04.2015 अनुसार 88,233 रूपये खरीदी गई स्ट्रीट लाईटो को कुल 4,33,533 रूपये अधिक में खरीदा जाना पाया गया। 4,33,533 रूपये सरपंच धर्मबीर व फर्म मालिक प्रमोद कुमार से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न० 88 दिनाक 03.01.2014 अनुसार 1.30,000 रूपये अधिक में खरीदा जाना पाया गया। 1,30,000 रूपये धर्मवीर सरपंच व फर्म Sarvodaya Seekri Ballabgarh Distt. Faridabad से रिकवर करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न० 5432 दिनांक 24 04.2015 अनुसार 18024 रूपये व बिल न0 5447 दिनांक 27.04.2015 अनुसार 6846 रूपये कुल 24870 रूपये अधिक खर्च करना पाया गया है। 24870 रूपये सरपंच धर्मवीर व फर्म Innovatative Tele Systems New

Railway Road DSD College Gurugram के मालिक कृष्ण कुमार शर्मा से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। श्री सुरजीत सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव ने ग्राम पंचायत मानेसर का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और सभी फर्मो की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत बपास ग्राम पंचायत बापास के बिल न० 90 दिनांक 23.06.2015 के अनुसार 2 हाईमास्क लाईटे 255662 रूपये फर्म S.K Electricals Ashram Hari Mandir Road Pataudi Gurugram से खरीद की गई है जिसका प्रस्ताव न० 6 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है जिसके माध्यम से अनुमानित लगत ASDO पंचायती राज हिसार से प्राप्त किया जाना पाया गया है। बिल न० 90 दिनांक 23.06.2015 के अवलोकन से पाया गया कि 2 पोल 9 मीटर 22500 रूपये प्रति पोल के हिसाब से 45000 रूपये, 8 LED 90 बाट 20000 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से 1,60,000 रूपये वेट 29662 रूप्ये जो कुल 2.55,662 रूपये का बिल बनाया हुआ है जिसमें स्न्य का कोई मार्का नही दर्षाया हुआ है और ना ही पोलो में कोई कम्पनी का मार्का दर्षाया हुआ है। बिल SDO इलैक्ट्रिस पंचायत राज हिसार व जे०ई० पंचायती राज गुरूग्राम द्वारा तसदीक किया हुआ है। हाईमास्क लाईट 255662 रूपये फर्म S.K Electricals Ashram Hari Mandir Road Pataudi Gurugram से खरीद की गई है अनुमानित लगत SDO पंचायती राज हिसार से की गई। इस सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 90 में 24054 रूपये कुल 24054 रूपये अधिक खर्च करने दर्शाये हुये है। बिल न० 90 दिनांक 23.06.2015 अनुसार 24054 रूपये कुल 24054 रूपये अधिक खर्च करना पाया गया है। 24054 रूपये सरपंच हरि औम पुत्र जगमाल सिह निवासी बपास व फर्म S.K Electricals Ashram Hari Mandir Road Pataudi Gurugram के मालिक षिषन कुमार से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। श्री संजय तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत बापास का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और सभी फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत काकरौला ग्राम पंचायत काकरौला के बिल न० 106 दिनांक 13.04.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट 1,05000 रूपये, मांग प्रस्ताव न० 01 दिनांक 02.03.2015, बिल न० 357 दिनांक 08.03.2015 चार हाईमास्क लाईट 1.05000 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 4,20,000 रूपये मांग प्रस्ताव 01 दिनांक 02.03.2015 तथा दोनो बिलों का भुगतान का प्रस्ताव न० 01 दिनांक 02.06.2015 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया गया है। लाईटे फर्म M/S R.k Energy System VPO Kalsi (Nilo Kheri) Distt. Karnal से खरीद की जानी पाई गई है। बिल न० 357 ASDO पंचायती राज रोहतक से तसदीक किया हुआ है और अनुमानित राशि भी ASDO पंचायती राज रोहतक द्वारा की हुई है। बिल न० 144 दिनांक 20.10.2012 के अनुसार 40 स्ट्रीट लाईट 3415 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1.36.600 रूपये, भुगतान प्रस्ताव न० 02 दिनांक 26.10.2012 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है। बिल न० 36 दिनांक 23.03.2011 के अनुसार 44 स्ट्रीट लाईट 4050 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1.78.200 रूपये मांग प्रस्ताव दिनांक 08.03.2011 व भुगतान प्रस्ताव न० 01 दिनांक 25.03.211 पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है। फर्म Mccromik प्लॉट न० 127 उद्योग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है। कुटेषन फर्म Mecromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरूग्राम व कुटेषन M/S Parmood Sharma contractor बंसत विहार बहादुरगढ व M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi की लगाई हुई है। बिल तस्दीक किया हुआ नहीं है। बिल न० 106 दिनांक 13.04.2015 के अनुसार एक हाईमास्क लाईट 1,05000 रूपये, बिल न० 357 दिनांक 08.03.2015 चार हाईमास्क लाईट 1,05000 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 4,20,000 रूपये जिनकी फर्म R.K Energy System Kalsi Distt. Karnal मालिक राकेश से खरीद की जानी पाई गई। बिल अतिरिक्त उप मण्डल अभियन्ता रोहतक द्वारा तसदीक किये हुये है और अनुमानित लागत के कागजात भी उन्होने के द्वारा अपने हस्ताक्षर करके दिये हुये है। राजेन्द्र सिंह गौतम अतिरिक्त उप मण्डल अभियन्ता की मृत्यु हो चुकी है। बिल न० 144 दिनांक 20.10.2012 के अनुसार 40 स्ट्रीट लाईट 3415 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1.36,600 रूपये, बिल न० 36 दिनांक 23.03.2011 के अनुसार 44 स्ट्रीट लाईट 4050 रूपये प्रति लाईट के हिसाब से कुल 1.78.200 रूपये, फर्म Mecromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम से खरीद की गई है। कुटेशन फर्म Meeromik प्लॉट न० 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार इूण्डाहेडा गुरुग्राम व कुटेषन M/S Parmood Sharma contractor बंसत विहार बहादुरगढ व M/s Yadav Engineering B-134 G/F No. 14 Khajuri Khas Delhi की लगाई हुई है बिल तसदीक किये हुये नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री सुरेश पाल सैनी कार्यकारी अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न0 106 में 24027 रूपये, बिल न० 157 में 96108 रूपये कुल 120135 रूपये अधिक खर्च करने पाये गये है। 120135

Police Station ... Gurugram Range

रूपये श्रीमति मेवा देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कांकरौला व फर्म R.K Energy Ststem Kalsi Distt. Karnal के मालिक राकेश से रिकवर करने का सुझाव दिया जाता है। बिल न॰ 144 में 34280 रूपये, बिल न॰ 36 में 65648 रूपये कुल 220063 रूपये अधिक खर्च किये गये। 220063 रूपये श्रीमति मेवा देवी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कांकरौला व फर्म Mecromik प्लॉट न॰ 127 उधोग विहार फेस-1 जांगडा बाजार डुण्डाहेडा गुरूग्राम मालिक प्रमोद से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। तत्कालीन ग्राम सचिव सुरजीत सिंह, अर्जुन व राम निवास के पास इस पंचायत का चार्ज रहा है। जिनके द्वारा ग्राम पंचायत काकरौला का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और सभी फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है।

ग्राम पंचायत पथरेडी ग्राम पंचायत पथरेडी के बिल न॰ 84 दिनांक 02.06.2015 के अनुसार 06 हाईमास्क लाईट 116500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से कुल 694021 रूपये मांग प्रस्ताव न॰ 01 दिनाक 18.02 2015 व गुगतान प्रस्ताव न॰ 03 दिनांक 03.07.2015 कार्यवाही पुस्तिका में अंकित है व फर्म को चैक न॰ 896158 के माध्यम से भुगतान किया गया। हाईमास्क लाईट फर्म S.K. इलेक्ट्रीकल्स आश्रम हरि मन्दिर रोड पटोदी से खरीद की गई। कुटेशन फर्म अमन ट्रैडिंग कम्पनी हरि मन्दिर रोड पटोदी व फर्म यादव इलेक्ट्रीकल्स गुरूग्राम रोड पटोदी की लगी हुई है। बिल का इन्द्राज अप्रेल से जुलाई 2015 ग्राम पंचायत की कैश बुक मे किया हुआ है और 6 हाईमास्क लाईटो का स्टोक रजिस्टर में इन्द्राज करके लगाई गई जगह का विवरण देकर वितरण किया हुआ दर्शाया गया है। बिल न॰ 84 दिनांक 02.06.2015 के अवलोकन से पाया गया है कि 06 हाईमास्क लाईट 116500 रूपये प्रति स्ट्रीट लाईट के हिसाब से कुल 694021 रूपये व हाईमास्क लाईट फर्म S.K. इलेक्ट्रीकल्स आश्रम हरि मन्दिर रोड पटौदी से खरीद की गई। बिल में 9 मीटर के पाईप, 90 वाट व 72 वाट की LED दर्शाई हुई है परन्तु किसी भी सामान की कम्पनी नही लिखी हुई। बिल को SDO पंचायती राज हिसार व हरि प्रकाश जे॰ई॰ पंचायती राज गुरूग्राम द्वारा तस्दीक किया हुआ है। फर्म द्वारा प्रति लाइंट 1.16,500 रूपये के हिसाब से 6 लाईटों के 611000 रूपये बनते है जिनको वेरिफाई कोस्ट दर्शाया हुआ है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक रा॰चौ॰ ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय में तकनीकी शाखा में नियुक्त श्री जय सिंह उप मण्डल अभियन्ता द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया जिन्होने अपनी रिपोर्ट में बिल न॰ 84 51054 रूपये में का अन्तर पाया गया है। 51054 रूपये अधिक खर्च किये गये है। यह राशी श्री महाबीर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत पथरेडी व फर्म S.K. इलेक्ट्रीकल्स आश्रम हरि मन्दिर रोड पटौदी से रिकवरी करने का सुझाव दिया जाता है। जितेन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा ग्राम पंचायत पथरेही का रिकार्ड दुरूस्त रखना चाहिये था और फर्मों की कुटेशन वगैरा ना रखकर व रिकार्ड को दुरूस्त ना रखकर लापरवाही का परिचय दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पत्र न॰ 743 दिनाक 13.01.2015 अनुसार प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी जिला गुरुग्राम व जिला रेवाडी की पंचायतों के एसटीमेट बनाकर पंचायतो के नाम अंकित किये बिना ही हरि प्रकाष जे॰ई॰ व SDO द्वारा दिये गये है। जिस सम्बन्ध में तस्दीक करने पर पाया गया है कि पत्र न॰ 1102-4 ECD-11/98/3977 चण्डीगढ़ दिनांक 18.06.1998 के अनुसार रोहतक, गुरुग्राम फरीदाबाद, रेवाडी, सोनीपत, झज्जर व पानीपत रोहतक मण्डल को वितरण किया गया था। उसके बाद मुख्य अभियन्ता पंचायती राज द्वारा पत्र न॰ PRDA-2014/2452 दिनांक 11.03.2014 अनुसार SDO Elect का क्षेत्र बदलने के सम्बन्ध में एक प्रोर्फोमा संलग्न करके सरकार को भेजा गया था जिसमें हिसार मण्डल रेवाडी, गुरुग्राम, नारनौल, हिसार, फतेहबाद, भिवानी व जीन्द में कार्य करने की योजना तैयार करके भेजी गई थी जिस पर पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र न॰ 106-4 ECD-II-2016/17004 चण्डीगढ़ दिनांक 10.08.2016 को मुख्य अभियन्ता पंचायती राज की योजना अनुसार आदेश किये गये। अतः हिसार मण्डल के SDO द्वारा वर्ष 2015 में जिला गुरूग्राम व रेवाडी में बिलों को तस्दीक नही करना चाहिए था उसके बाद भी तस्दीक किया है। श्री जयवीर सिंह पूनिया SDO पंचायती राज हिसार व हरि प्रकाश जे॰ई॰ पंचायती राज गुरुग्राम द्वारा जिला गुरूग्राम व रेवाडी के बिलों को तसदीक किया है। उन बिलों में फर्मों द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाईटो के कम्पनी का मार्का भी नही दर्शाया जिसके बावजूद भी इन्होने बिलों को तसदीक किया है और अपने कथनों में बतलाया है कि मौका का निरीक्षण करने उपरान्त बिल तसदीक किये गये थे।

जिला गुरूग्राम की ग्राम पंचायत भौण्डसी, धानावास, सांपका व फाजिलपुर बादली में वर्ष 2010 से 2015 तक की पंचायत के सत्र के दौरान स्ट्रीट लाईटे व हाईमास्क लाईटे लगाई गई थी। जिनकी अनुमानित राशि एस॰डी॰ओ॰ हिसार व ए॰एस॰डी॰ओ॰ रोहतक द्वारा दिया जाना पाया गया है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंचों, तत्कालीन ग्राम सचिवों ने फर्मों के मालिकों से मिलीभगत करके फर्जी कुटेशनें लगाकर असल कीमत से ज्यादा की कीमत के बिल तैयार करके भुगतान किया है। (1) संजय पूर्व सरपच पुत्र स्व॰ नरेन्द्र सिहं निवासी भौण्डसी गुरुग्राम (2) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री

उमराव सिंह निवासी नया गांव पुलिस थाना सदर रेवाडी हाल समाज शिक्षा एवम् पंचायत अधिकारी खण्ड नगीना (मेवात) (3) श्रीमति नीलम देवी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी धानावास जिला गुरूग्राम सरपंच धानावास (4) रणसिंह तत्कालीन ग्राम सचिव घानावास (5) श्रीमति धनपति तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली मृतक (6) श्री गजेन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव फाजिलपुर बादली (7) श्री औम प्रकाश तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सांपका (8) श्री परमवीर तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सांपका (9) सुरेश कुमार पुत्र दिलबाग सिंह निवासी अम्बाला सिटी मोती नगर प्लॉट न0 79 अम्बाला मालिक फर्म न्यू सांगवान ईलक्ट्रोनिक्स मकान न0 357 गली न० 12/384 लक्ष्मी नगर गोहाना जिला सोनीपत (10) श्री कृष्ण इलैक्ट्रॉनिक गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत के मालिक कृष्ण मलिक सिंह निवासी म०न० 448 विकास नगर गली न० 3 सोनीपत (11) फर्म Gen Next Illumination India PVT: Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat के खिलाफ धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा०द०स० व 13 (1) डी r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ड्राफट तहरीर तैयार करके इस कार्यालय के पत्र कमांक 4025/राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम दिनांक 03.08.2026 के अनुसार अनुमोदन होने हेतू कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों हरियाणा पंचकूला भेजी गई थी जो ड्राफट तहरीर बाद अनुमोदन होने उपरान्त कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों हरियाणा पचकूला के पत्र कमांक 15460 / 1-3/SVACB (H) Panchkula दिनांक 06.08.2026 के अनुसार अभियोग दर्ज करने हेतू इस कार्यालय को प्राप्त हुई। लिहाजा (1) संजय पूर्व सरंपच पुत्र स्व० नरेन्द्र सिहं निवासी भौण्डसी गुरूग्राम (2) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह निवासी नया गांव पुलिस थाना सदर रेवाडी हाल समाज शिक्षा एवम् पंचायत अधिकारी खण्ड नगीना (मेवात) (3)' श्रीमति नीलम देवी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी धानावास जिला गुरूग्राम सरपंच धानावास (4) रणसिंह तत्कालीन ग्राम सचिव धानावास (5) श्रीमति धनपति तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत फाजिलपुर बादली मृतक (6) श्री गजेन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव फाजिलपुर बादली (7) श्री औम प्रकाश तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सांपका (8) श्री परमवीर तत्कालीन ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सांपका (9) सुरेश कुमार पुत्र दिलबाग सिंह निवासी अम्बाला सिटी मोती नगर प्लॉट न० 79 अम्बाला मालिक फर्म न्यू सांगवान ईलक्ट्रोनिक्स मकान न0 357 गली न0 12/384 लक्ष्मी नगर गोहाना जिला सोनीपत (10) श्री कृष्ण इलैक्ट्रॉनिक गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी सोनीपत के मालिक कृष्ण मलिक सिंह निवासी म०न० 448 विकास नगर गली न० 3 सोनीपत (11) फर्म Gen Next Illumination India PVT. Ltd. 184 HSIIDC Rai Sonipat के खिलाफ धारा 409,420,467,468,471,120-बी भा०द०स० व 13 (1) डी r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया जाकर तहरीर बदस्त सिपाही विनोद कुमार न0 721/ रेवाडी के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके बदस्त स्पेशल वाहक ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण के पास भिजवाई जाये तथा अभियोग के अनुसंधान हेतू असल मिशल अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक औम प्रकाश ईन्चार्ज थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के पास भिजवाई जाए। स्थानः राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम। (निरीक्षक नवीन) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों.गुरुग्राम, मण्डल, गुरुग्राम दि० 10.08.2026 समय – 12.40 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजा जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले सिपाही विनोद कुमार न0 721/ रेवाडी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 औम प्रकाश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** omparkash **Rank (पद):** I (Inspector)

POLICE STATION S.V.A.C.B. (H) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम ... गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

No. (सं.): 12sr to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~DEVENDER SINGH~~ Naveen Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): KR-11

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				Is pox pitted: Yes
2	Male	1981				Is pox pitted: Yes
3	Female	1981				Is pox pitted: Yes

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H.) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मंडल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram